82

प्र/पुनि0/रीवा/2018/0748

न्यायालय श्रीमान् राजस्वमण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक- -/दो/018

5रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 20रु. Rs.20 कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

1- मुस• तिजौआ बिधवाधर्म पत्नी स्व• रामप्रयाग कुशवाहा उम्री 58 बर्ष ।

2- रामबदन कुशवाहा आत्मजस्व•रामप्रयाग कुशवाहा उम्री लगभग 33 बर्ष ।

3- रामकिशोर तनय स्व• रामप्रयाग कुशवाहा उम्री लगभग 29 बर्ष ।

4- राजेश कुमार कुशवाहा आत्मज स्व• रामप्रयाग कुशवाहा उम्री लगभग26बर्ष

सभी का पेशा कृषि एवंनि0ग्राम मांजनराममनोहर थाना शाहपुर तह0 हनुमना जिला रीवा (म0प्र0) - - - - - - - - ---- आवेदकगण

अधि0श्री आर.एस.शर्मा
द्वारा पेश/29-01-18

बनाम

शासन म0प्र0 - - - - - - - --- -- - - - - - - - अनावेदक

पुर्नविलोकन प्रकरण अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई0 ।

पुर्नविलोकन बिरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् राजस्वमण्डल म0प्र0 ग्वालियर खण्ड पीठ रीवा म0प्र0 के प्र0क्र0/आर•5056-दो/016 में पारित आदेश दिनांक 11-08-017 (ग्यारह अगस्त-सन् दो हजारसत्रह)

महानुभाव,

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र के आधार निम्नांकित हैं :---

1- यह कि न्यायालय श्रीमान् राजस्वमण्डल म0प्र0 ग्वालियर खण्ड पीठ रीवा द्वारा प्र0क्र0/आर•5056-दो /016 में पारित चुनौती सुदा आदेश दिनांक 11-08-2017 में कई प्रत्यक्षदर्शी त्रुटियां हैं, जिसे पुर्न-बिलोकित कर परिमार्जित किया जाना न्याय संगत हैं ।

2- यह कि आवेदकगण द्वारा मूल निगरानी आवेदन पत्र के तथ्यात्मक विवरण की कण्डिका "अ" में यह विवरण दिया गयाथा कि प्रश्नगत भूमि नं0 3/3 रकबा 0•53 ए0, स्थितग्राम मांजन राममनोहर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण **कमांक दो/रिव्यु/रीवा/2018/0748**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
25_06_18	आवेदक की ओर से श्री आर0 एस0 शर्मा उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 5056–दो/16 में पारित आदेश दिनांक 11.08.17 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक **दो/रिव्यु/रीवा/2018/0748** के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3–आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 5056–दो/16 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 11.8.17 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण कमांक **दो/रिव्यु/रीवा/2018/0748** में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में रिव्यु के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	

दो/रिव्यु/रीवा/2018/0748

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य